

प्रेस नोट

जनपद रामपुर

दिनांक

17.11.2022

twitter-@rampurpolice  
@rampurpolice

FB-रामपुर पुलिस

Telegram-

थाना गंज:- नाजायज तमंचा व चाकू के साथ 04 नफर अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार ।

आज दिनांक 17.11.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद रामपुर महोदय द्वारा अवैध हथियारो एवं आबकारी के पेशेवर अपराधियो एवं संदिग्ध व्यक्तियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद रामपुर के कुशल निर्देशन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर के नेतृत्व में थाना गंज पुलिस द्वारा 04 नफर अभियुक्त गण को अवैध तमंचे एवं चाकू के साथ गिरफ्तार किया एवं सुसंगत धाराओ मे अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी । नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त गणः-

1-नूर अहमद पुत्र रईस अहमद निवासी मौहल्ला बगीचा एमना थाना गंज जिला रामपुर उम्र करीब 25 वर्ष

2-रिजवान पुत्र अबरार मियां निवासी मौहल्ला पंखेबालान थाना गंज जिला रामपुर उम्र करीब 28 वर्ष

3-नदीम उर्फ पन्नू पुत्र साबिर खां उर्फ गम्मन निवासी मौहल्ला पंखेबालाना थाना गंज जिला रामपुर उम्र करीब 22 वर्ष

4-फिरोज पुत्र शकील निवासी ग्राम काशीपुर थाना गंज रामपुर उम्र करीब 25 वर्ष  
अभियुक्त गण से बरामदगीः-

अभि0 नूर अहमद उपरोक्त से एक अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर

अभि0 रिजवान उपरोक्त से एक अदद चाकू प्रतिबंधित लम्बाई का

अभि0 नदीम उर्फ पन्नू से एक अदद चाकू प्रतिबंधित लम्बाई का

अभि0 फिरोज पुत्र शकील से एक अदद चाकू प्रतिबंधित लम्बाई का

अभियुक्त गण के विरुद्ध कृत कार्यवाहीः-

मु0 अ0 सं0 343/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम नूर अहमद उपरोक्त

मु0 अ0 सं0 345/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम रिजवान उपरोक्त

मु0 अ0 सं0 346/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम नदीम उपरोक्त

मु0 अ0 सं0 347/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम फिरोज उपरोक्त

अभियुक्त गण से बरामदगीः-

अभि० नूर अहमद उपरोक्त से एक अदद तंमचा 315 बोर मय 01 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर

अभि० रिजवान उपरोक्त से एक अदद चाकू प्रतिबंधित लम्बाई का  
अभि० नदीम उर्फ पन्नू से एक अदद चाकू प्रतिबंधित लम्बाई का  
अभि० फिरोज पुत्र शकील से एक अदद चाकू प्रतिबंधित लम्बाई का  
गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः

1. श्री सुरेन्द्र सिंह पचौरी प्रभारी निरीक्षक थाना गंज रामपुर
2. उ० नि० श्री जितेन्द्र कुमार थाना गंज रामपुर
3. उ० नि० श्री जाकिर अली थाना गंज रामपुर
4. कां० 1315 उवैश
5. कां० 1542 राजकुमार

-----  
थाना स्वार:- वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 17-11-2022 को थाना स्वार, रामपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त हिब्जे अली पुत्र अहमद अली निवासी ग्राम- समौदिया थाना स्वार, रामपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी ।

-----  
थाना सैफनी:- 500 ग्राम नाजायज चरस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार ।

थाना सैफनी पुलिस द्वारा एक नफर अभियुक्त को 500 ग्राम नाजायज चरस के साथ गिरफ्तार किया गया ।

आज दिनांक 17.11.2022 श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद रामपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन कराये जाने के क्रम में एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद रामपुर के निकट पर्यवेक्षण में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मिलक महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना सैफनी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 17.11.2022 को ग्राम मझरा घाट नदी के दूसरे छोर पर अभियुक्त के कब्जे से 500 ग्राम चरस नाजायज व एक मो०सा० UP 21 AP 1140 हिरो होण्डा HF डिलेक्स बरामद होना । मो०सा० के कागजात न होने पर मो०सा० को सीज किया गया तथा अभियुक्त के पास नाजायज चरस बरामद होने पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी । कार्यवाही- मु०अ०सं० 154/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

अभियुक्त का नाम व पता:-

1. मुन्तसिर पुत्र शाहदत तुर्क नि० ग्राम बैरुआ थाना सैफनी जनपद रामपुर ।  
बरामदगी-

1. अभि० के कब्जे से कुल 500 ग्राम चरस नाजायज व एक मो०सा० UP 21 AP 1140 हिरो होण्डा HF डिलेक्स बिना कागजात बरामद होना ।

आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 379/2004 धारा 3/5/8 सीएक्ट चालानी थाना पटवाई
2. मु०अ०सं० 380/2005 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना शाहबाद
3. मु०अ०सं० 515/2002 धारा 110 जी सीआरपीसी चालानी थाना शाहबाद
4. मु०अ०सं० 496/2018 धारा 147/323/504 भादवि० व 3(1) एससी एक्ट एक्ट चालानी थाना शाहबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र सिंह सोलंकी
- 2.उ०नि० श्री विनोद कुमार गौतम
- 3.का० 1678 आदेश कुमार
- 4.का० 1610 सेन्सरपाल